संख्या–395 सी0डी0 / 46–3–10–1000(~~10~~ 79) / 2008

प्रेषक,

विजय कुमार तिवारी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

गन्ना आयुक्त,
उ0प्र0, लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग–3 लखनऊ, दिनांक 28 फरवरी,2010

विषयः– सघन गन्ना विकास की योजना(जिला योजना वित्तीय वर्ष 2009–10 में स्वीकृति धनराशि के आहरण / व्यय किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक–1057–59 / नियोजन दिनांक 25–02–2009 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सघन गन्ना विकास जिला योजना अनतर्गत (सघन गन्ना विकास की योजना) सामान्य एवं अनुसूचित जाति / जनजाति के लिए जनपद संत रविदास नगर एवं संतकबीर नगर को शासन के पत्रांक–514 / सी0डी0 / 46–3–09–1000(79) / 2008 दिनांक 15–04–2009 एवं पत्रांक–972 सी0डी0 / 46–3–09–1000(79) / 2008 दिनांक 21–08–2009 द्वारा आवंटित धनराशि का आहरण करने हेतु क्रमशः **जिला गन्ना अधिकारी, वाराणसी एवं जिला गन्ना अधिकारी, बस्ती** को आहरण करने हेतु एतद्द्वारा अधिकृत किया जाता है। अतः उक्त जनपदों को आवंटित धनराशि का आहरण अविलम्ब करते हुए आवंटित जनपदों में नियमानुसार व्यय सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(विजय कुमार तिवारी)
उपसचिव।

संख्या–395 सी0डी0 / 46–3–10–1000(10) / 2008।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) जिला गन्ना अधिकारी वाराणसी, एवं बस्ती ।
(2) कोषाधिकारी, संतरविदास नगर, एव संतकबीर नगर।
(3) जिला गन्ना अधिकारी वाराणसी, एवं बस्ती।
(4) संबंधित जनपदों के जिलाधिकारी ।
(5) वित्त नियंत्रक, कार्यालय, गन्ना आयुक्त, उ0 प्र0, लखनऊ।
(6) वित्त(व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–6।
(7) गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(विजय कुमार तिवारी)
उप सचिव।

28.2.2010

apfg40